न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 28/2018

अनवान :

1. श्रवण कुमार पुत्र चन्द्रसिंह जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– वादी

बनाम

1. चन्द्रसिंह पुत्र सन्तुराम जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा।
2. नरेश कुमार पुत्र चन्द्रसिंह जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा।
3. सुमन पुत्री चन्द्रसिंह जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा।
4. कृष्णा पुत्री चन्द्रसिंह जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा।
5. धापां पुत्री चन्द्रसिंह जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा।
6. ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा नेठराना तहसील भादरा।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) भादरा।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88,188 राज0काश्त0अधि0 1955
उपस्थिति : वकील श्री विनोद पूनियां : **वादी**
वकील श्री उम्मेद मोठसरा – **प्रतिवादी सं0 1 ता 5**
निर्णय **दिनांक : 22/3/18**

वाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 1 बीआरडब्ल्यु के वर्तमान खाता सं0 63/63 के मु0नं0 50 के किला नं0 21 ता 25, मु0नं0 51 के किला नं0 1 ता 25 कुल तादादी 7.590 है0 नहरी मय रास्ता की खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं0 1 के नाम से 1/2 हिस्सा खातेदारी दर्ज है।

उक्त भूमि पहले वादी के दादा सन्तुराम की खातेदारी हुआ करती थी। सन्तुराम के देहान्त होने पर प्रतिवादी चन्द्रसिंह के नाम जो भूमि दर्ज हुई है वह वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 1 ता 5 को बहिस्सा बराबर के अनुसार विरासतन में प्राप्त हुई थी परन्तु प्रतिवादी चन्द्रसिंह कर्ता खानदान होने के चलते विरासतन इन्तकाल तन्हा अपने नाम से दर्ज करवा लिया।

चन्द्रसिंह के नाम दर्ज 1/2 हिस्सा भूमि को विरासतन में वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 1 ता 5 को बहिस्सा बराबर के अनुसार प्राप्त हुई थी उसमें

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला हनुमानगढ़)

प्रतिवादीगण सं0 3 ता 5 ने अपना हक हिस्सा वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 को बहिस्सा बराबर के अनुसार तर्क कर अपना हक हिस्सा शुन्य कर लिया था जिस पर प्रतिवादी चन्द्रसिंह के नाम दर्ज 1/2 हिस्सा भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 को बहिस्सा बराबर के अनुसार प्राप्त हो गई तथा इसी अनुसार कब्जा काश्त चली आ रही है परन्तु राजस्व रिकार्ड में वादभूमि आज भी प्रतिवादी चन्द्रसिंह के नाम से ही दर्ज चली आ रही है जिसके चलते वादी के खातेदारी अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 5 ने आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी सं0 6 ता 7 को तर्क किया गया।

साक्ष्य वादी में वादी स्वयं श्रवणकुमार पीडब्ल्यु 1 के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में नकल फोटो प्रति जमाबन्दी चक 1बीआरडब्ल्यु खाता सं0 63/63 सम्वत् 2071 से 74 प्रदर्श 1, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खतौनी चक 1 बीआरडब्ल्यु सम्वत् 2055 प्रदर्श 2, असल प्रति वारिसनामा प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अपनी बहस में कथन किया कि वादभूमि वादी के दादा सन्तुराम की खातेदारी हुआ करती थी जो सन्तुराम के देहान्त के बाद विरासतन प्रतिवादी सं0 1 चन्द्रसिंह को प्राप्त हुई है। इस प्रकार विवादित कृषि भूमि में वादी का जन्म से हक हिस्सा है तथा वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने चक 1 बीआरडब्ल्यु के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने अपने दावा की पुष्टी हेतु जो फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खतौनी चक 1 बीआरडब्ल्यु सम्वत् 2055 प्रदर्श 2 प्रदर्शित करवाई है उसमें कृषि भूमि वादी के दादा सन्तु वल्द उदाराम के नाम दर्ज है जिससे वाद भूमि दादालाई पैतृक कृषि भूमि होना साबित है एवं असल प्रति वारिसनामा प्रदर्श 3 में चन्द्रसिह के मौजूदा वारिसान में पत्नि कमला, तीन पुत्रियां सुमन, कृष्णा, धापा व दो पुत्र नरेश कुमार, श्रवण कुमार होना व इनके अलावा को वारिस नहीं होना अंकित किया गया है। इस प्रकार वाद वादी साबित है।

अत : वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 1 बीआरडब्ल्यु के वर्तमान खाता सं0 63/63 के मु0नं0 50 के किला नं0 21 ता 25, मु0नं0 51 के किला नं0 1 ता 25 कुल तादादी 7.590 है0 नहरी मय रास्ता की खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं0 1 के नाम से 1/2 हिस्सा खातेदारी दर्ज है में अकेले प्रतिवादी सं0 1 चन्द्रसिंह के बजाय

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
... जिला हनुमानगढ़

वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 तीनों बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। चूंकि विवादित कृषि भूमि में से प्रतिवादीया सं0 3 ता 5 ने अपने हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 के पक्ष त्याग कर दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 22/3/18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्याायलय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
उपखण्डाधिकारी(राजस्व) R.A.S.
भादरा(जिला हनुमानगढ़)

उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़